(2013) 4 एस.सी.आर. 562

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एवं एक अन्य

बनाम

के. आरोकिया रादजा एवं अन्य

(2013 की दीवानी अपील संख्या 2323)

12 मार्च, 2013

[जी.एस. सिंघवी, एच.एल. गोखले और रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि – सह-समाप्ति कर्मचारी (उत्तरदातागण) – उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त होने के पश्चात सेवा में बने रहने की पात्रता, जिसके नियोजन के साथ उनकी सेवाएँ सह-समाप्त की गई थी – अभिनिर्धारित: उत्तरदाताओं को केवल इसलिए नियोजित किया गया था क्योंकि उनके नामों की सिफारिश पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जो कि एक संविधिक निगमित निकाय है, के अध्यक्ष द्वारा की गई थी – वे न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से सेवा में आए और न ही किसी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें उन्हें अन्य पात्र उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी – इसके अलावा, उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उनकी सेवाएँ सह-समाप्त थी, और उन्हें इसके बाद नियोजित होने का कोई अधिकार नहीं होगा – जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उनके लिए अपने नियोजन की समाप्ति को चुनौती देना अनुमेय नहीं था – पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1980 – धारा 3 और 15।

सेवा विधि – भर्ती – उचित माध्यम – की आवश्यकता – अभिनिर्धारित: उचित माध्यम से नियोजित होने की आवश्यकता को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए मनमाने और लापरवाह तरीके से शिथिल नहीं किया जा सकता था – यह स्पष्ट रूप से संविधान के

अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा – भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 और 16।

पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अंतर्गत गठित एक संविधिक निगमित निकाय है। बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने निजी कर्मचारी के रूप में कुछ व्यक्तियों के नियोजन की इच्छा व्यक्त की थी। बोर्ड में निजी कर्मचारी के किसी भी स्वीकृत पद का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी रोजगार कार्यालय से प्रायोजित नाम प्राप्त किए बिना, उक्त अध्यक्ष ने चार उत्तरदाताओं सहित पांच व्यक्तियों को अपने निजी कर्मचारियों के रूप में नियोजित कर लिया। उक्त अध्यक्ष के अनुनय को देखते हुए, पुडुचेरी सरकार ने सह-समाप्ति के आधार पर और एक निश्चित वेतनमान पर उत्तरदाताओं को नियुक्त करने के सामान्य आदेश जारी किए। इसके पश्चात, जब बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे दिया और उसके बाद, सभी चार उत्तरदाताओं को उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया।

वर्तमान दीवानी अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह है कि क्या वे उत्तरदाता, जिन्हें सह-समाप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था, उनके पास बोर्ड के अध्यक्ष के नियोजन की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने का कोई अधिकार था, जिनके नियोजन के साथ उनकी सेवाएँ सह-समाप्त की गई थी।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. उत्तरदाताओं को केवल इसलिए नियोजित किया गया था क्योंकि उनके नामों की सिफारिश पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा की गई थी। वे न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से सेवा में आए और न ही किसी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें उन्हें अन्य पात्र उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, वह संबंधित प्रशासनिक तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली और पुडुचेरी के मुख्य सचिव के माध्यम से नहीं

भेजा गया था। चूंकि प्रस्ताव प्रशासन के सामान्य माध्यम से नहीं भेजा गया था, इसलिए उत्तरदाताओं के अनियमित नियोजन के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति राज्यपाल के समक्ष नहीं रखी जा सकी। उनके प्रारंभिक नियोजन, बोर्ड में उसी श्रेणी में स्वीकृत पदों की उपलब्धता, कर्मचारियों के नियोजन के लिए प्रासंगिक नियम आदि जैसे प्रासंगिक तथ्य भी राज्यपाल के समक्ष नहीं रखे जा सके। इसके बावजूद, प्रस्ताव में स्वयं यह दर्ज था कि उत्तरदाताओं ने केवल 3.5 वर्षों की सेवा की थी, और उन्हें नियमित करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा एक बार खारिज कर दिया गया था। बोर्ड अधिनियम की धारा 15 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि बोर्ड अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों से बाध्य था। राज्यपाल से स्वयं कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी, बल्कि उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना था। यह प्रश्न कि क्या इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन और अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न होगा, सरकार को संदर्भित किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, संकल्प में केवल इस संबंध में अध्यक्ष के अनुरोध को दर्ज किया गया था। यह एक विशेष मामले के रूप में नियमितीकरण को मंजूरी देने या मौजूदा मानदंडों में ढील देने वाला बोर्ड का संकल्प नहीं था। [कंडिका 15]

1.2. उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उनकी सेवाएँ सह-समाप्ति थी, और उन्हें इसके बाद नियोजित होने का कोई अधिकार नहीं होगा। संदर्भित नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 4 और 6 इस संबंध में बहुत स्पष्ट हैं। उत्तरदाताओं ने पूर्ण समझ के साथ सह-समाप्ति नियुक्ति स्वीकार की थी। जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उनके लिए अपनी सेवा-मुक्ति को चुनौती देना अनुमेय नहीं था। [कंडिका 17]

1.3. सार्वजनिक नियोजन की संवैधानिक योजना के इतर सार्वजनिक नियोजन में नियुक्त/भर्ती किए गए और लंबे समय तक सेवा में बने रहने वाले अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगी या तदर्थ कर्मचारियों का आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी

रूप से बने रहना अनुमेय नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। [कंडिका 18]

1.4. वर्तमान मामले में, संबंधित विधायक (एम.एल.ए.) को एक विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था, और उन्होंने राज्य विधानसभा के चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्तीफा दे दिया था। उनके द्वारा नियुक्त सह-समाप्ति कर्मचारियों के नियमितीकरण का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे बिना सीधे राज्यपाल को भेज दिया गया था। इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों को खारिज किया जा चुका है। उचित माध्यम से नियोजित होने की आवश्यकता को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए मनमाने और लापरवाह तरीके से शिथिल नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। [कंडिका 20]

सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी **(3) एवं अन्य 2006 (4) एससीसी 1: 2006 (3) एस.सी.आर. 953;** *गुजरात राज्य एवं एक अन्य बनाम पी.जे. कम्पवात एवं अन्य* **1992 (3) एससीसी 226: 1992 (2) एस.सी.आर. 845 और** *भारत संघ बनाम धरम पाल* **2009 (4) एससीसी 170: 2009 (2) एस.सी.आर. 193 - पर अवलंबित।**

आबकारी अधीक्षक मलकापटनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव एवं अन्य **1996 (6) एससीसी 216: 1996 (5) पूरक एस.सी.आर. 73 - संदर्भित।**

वाद विधि संदर्भ:

1996 (5) पूरक एस.सी.आर. 73	**संदर्भित**	**कंडिका 4**
2006 (3) एस.सी.आर. 953	**अवलंबित**	**कंडिका 17, 18**
1992 (2) एस.सी.आर. 845	**अवलंबित**	**कंडिका 19**
2009 (2) एस.सी.आर. 193	**अवलंबित**	**कंडिका 19**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की दीवानी अपील संख्या 2323

मद्रास स्थित उच्च न्यायालय की विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1131/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.08.2011 से उत्पन्न।

के साथ

2013 की दीवानी अपील संख्या 2324

अपीलकर्ताओं की ओर से आर. वेंकटरमणी, वी.जी. प्रगासम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, सुप्रिया गर्ग, नीलम सिंह, शोधन बाबू।

उत्तरदाताओं की ओर से सी. रघुनाथ रेड्डी, सी. सलिला रेड्डी, वी. वसंत कुमार, ए.वी. रंगम, ऋचा भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले** द्वारा सुनाया गया:

1. इन दोनों अपीलों में विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. ये दोनों अपीलें यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या वे कर्मचारी जिन्हें सह-समाप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है, उनके पास उस व्यक्ति के नियोजन की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने का कोई अधिकार है, जिसके नियोजन के साथ उनकी सेवाएँ सह-समाप्त की गई थी।

इन अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संक्षेप में बोर्ड) पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1980 (संक्षेप में बोर्ड अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत गठित एक संविधिक निगमित निकाय है। बोर्ड विभिन्न खादी कताई/बुनाई/रेशम केंद्र संचालित कर रहा है जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यह बोर्ड द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री के लिए कई खादी भंडारों का संचालन करता है। पुडुचेरी सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्तरों पर बोर्ड के पास 219 स्वीकृत पद हैं। इसने इनमें से प्रत्येक पद के संबंध में भर्ती नियम/स्थायी आदेश तैयार किए हैं।

4. भारत संघ ने दिनांक 18.05.1998 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें 1996 (6) एससीसी 216 में प्रतिवेदित *आबकारी अधीक्षक मलकापटनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव एवं अन्य* (जो रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती को भर्ती के मुख्य माध्यम के रूप में मान्यता देता है) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ देने के पश्चात, यह निर्देश दिया गया था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों (अर्ध-सरकारी संस्थानों और संविधिक संगठनों सहित) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियां, चाहे उनकी प्रकृति और अवधि कुछ भी हो (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर), न केवल अधिसूचित की जानी चाहिए, बल्कि उन्हें केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भरा जाना चाहिए। भर्ती के अन्य अनुमेय स्रोतों का उपयोग केवल तभी किया जाना था जब संबंधित रोजगार कार्यालय एक 'अनुपलब्धता प्रमाणपत्र' जारी करे। भर्ती की इस प्रक्रिया से तब तक कोई विचलन नहीं किया जा सकता, जब तक कि श्रम विभाग और मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के परामर्श से इस संबंध में पहले से कोई अलग व्यवस्था न की गई हो। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 500/- रुपये प्रति माह से कम के मूल वेतन वाले पदों की रिक्तियों को केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में भी इसी तरह के निर्देश लागू हैं।

5. ऐसा घटित हुआ कि श्री पी. अंगालन ने दिनांक 12.07.2002 को बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, और उन्होंने अपने निजी कर्मचारी के रूप में कुछ व्यक्तियों के नियोजन की इच्छा व्यक्त की। बोर्ड में निजी कर्मचारी के किसी स्वीकृत पद का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी रोजगार कार्यालय से प्रायोजित नाम प्राप्त लिए बिना, उक्त अध्यक्ष ने पांच व्यक्तियों को अपने निजी कर्मचारियों के रूप में नियोजित कर लिया, जिनमें यहाँ प्रस्तुत चार उत्तरदाता और एक टी. कुमार (अब मृत) शामिल थे।

6. उक्त अध्यक्ष के अनुनय को देखते हुए, पुडुचेरी सरकार ने दिनांक 13.02.2003 को सामान्य आदेश जारी किए, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को सह-समाप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया। उन्हें एक निश्चित वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। इन उत्तरदाताओं के नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होगा, उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इन पांच व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी देने वाला शासनादेश इस प्रकार है:-

"पांडिचेरी सरकार

औद्योगिक विकास विभाग

(उद्योग एवं वाणिज्य)

संख्या: जे.12014/5/2002/इंड.&कॉम.बी

पांडिचेरी, दिनांक: 26 मार्च, 2003

सेवा में,

कार्यपालक अधिकारी,

पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,

प्लॉट संख्या: 1 एवं 2, कामराज सलाई,

न्यू सरम, पांडिचेरी

महोदय,

विषय: औ.वि.वि. (उद्योग एवं वाणिज्य) – बोर्डों/निगमों के अध्यक्ष को निजी कर्मचारी प्रदान करने के संबंध में – स्वीकृति संसूचित किए जाने के संबंध में।

संदर्भ: 1. पांडिचेरी सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक शाखा) का आई.डी. नोट संख्या: ए.52011/1/2002/डीपी&एआर/एसएस/(2), दिनांक: 13.02.2003।

2. कार्यपालक अधिकारी, पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पांडिचेरी का पत्र संख्या: 11/5/16/2002/स्था-1, दिनांक: 13.03.2003।

मुझे उपरोक्त संदर्भ संख्या एक के अंतर्गत उल्लिखित आई.डी. नोट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है।

2. उपरोक्त संदर्भ संख्या दो में किए गए अनुरोध के अनुसार, पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सह-समाप्ति के आधार पर निम्नलिखित निजी कर्मचारियों को नियोजित किए जाने हेतु एतद्द्वारा सरकार की स्वीकृति संसूचित की जाती है:-

क्र.सं.	*नाम और पता*	*पद*	*वेतनमान*
1.	*के. आरोकिया रादजा, पिता- कुलन्दै राज, मकान संख्या 24, II क्रॉस, बालाजी नगर, पांडिचेरी-13*	*आशुलिपिक*	*4500-125-7000 रुपये*
2.	*जी. अय्यप्पन, पिता- गंगाधरन, मकान संख्या 29, द्वितीय क्रॉस, मरिअम्मन नगर, करामणिकुप्पम, पांडिचेरी-4*	*निजी लिपिक*	*3050-75-3950-80-4590 रुपये*
3.	*टी. कुमार, पिता- त्यागराजन, तिरुपुर कुमारन स्ट्रीट, मंजोलाई, अरियंकुप्पम, पांडिचेरी-7*	*कर्मचारी कार चालक*	*3050-75-3950-80-4590 रुपये*
4.	*पी. राजशेखर, पिता- पुरुषोत्तमन, मकान संख्या 8, मेन रोड, सी.एन. पालयम, अरुम्पाथपुरम (डाकघर), वाया विल्लियानुर, पांडिचेरी-10*	*चपरासी*	*2550-55-2660-3200 रुपये*
5.	*एस. रामचंद्रन, पिता- सुब्रमणि, 64, गंगई अम्मन कोइल स्ट्रीट, पिल्लैचवडी, पांडिचेरी-14*	*चपरासी*	*2550-55-2660-3200 रुपये*

3. जैसे ही अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेंगे, इन अधिकारियों की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी।

4. इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया जाता है कि निगम के अधिनियम/नियमों में अध्यक्ष के लिए निजी कर्मचारी के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तुरंत भेजा जाए।

भवदीय,

(पी.एम. इमैनुएल)

अवर सचिव, सरकार (उद्योग एवं वाणिज्य)"

7. उपरोक्त स्वीकृति आदेश के आधार पर, पांच व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 26.03.2003 को एक अलग कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित नियम और शर्तें शामिल थी:-

"……

सह-समाप्ति के आधार पर निजी कर्मचारियों के नियोजन के नियम और शर्तें:

1. व्यक्ति को सह-समाप्ति के आधार पर नियोजित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही वर्तमान अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेंगे/अध्यक्ष के कार्यालय में नहीं रहेंगे, वैसे ही उस व्यक्ति की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी।

2. इस नियोजन की शर्तें सह-समाप्ति के आधार पर होंगी और बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ मेल खाएंगी या तब तक लागू रहेंगी जब तक अध्यक्ष को उनकी सेवा की आवश्यकता होगी, जो भी पहले हो। जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, तो बिना किसी पूर्व सूचना के इस कार्यालय से उनकी सेवाएँ समाप्त हो जाएँगी और बोर्ड की सेवा में नियोजन की अवधि चाहे जो भी हो, वे बोर्ड की सेवा में नियमित नियुक्ति/आमेलन के लिए कोई दावा नहीं करेंगे।

3. इस नियोजन के लिए कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। लेकिन वेतन का दावा सरकार में मौजूद उसी पद और वेतनमान के समान किया जाएगा जिसके तहत

उन्हें नियोजित किया गया है और वे प्रत्येक वर्ष उस समय-वेतनमान में नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे जिसमें उन्हें नियोजित किया गया है।

4. बोर्ड में नियमित नियुक्ति का दावा करने के लिए संबंधित व्यक्ति पर कोई भी अधिनियम/सेवा नियम/विनियम लागू नहीं किया जाएगा। बोर्ड में सह-समाप्ति के आधार पर कार्य करने के कारण, उनके पास बोर्ड में नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. यह नियोजन न तो अस्थायी/नियमित और न ही तदर्थ आधार पर है। यह विशुद्ध रूप से केवल सह-समाप्ति के आधार पर अध्यक्ष की सहायता करने के उद्देश्य से है जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं।

6. भविष्य में बोर्ड में एक नियमित कर्मचारी के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को जारी किए गए आदेशों पर न तो कोई कानूनी प्रावधान और न ही पारित किया जाने वाला बोर्ड का कोई संकल्प बाध्यकारी होगा।

7. सह-समाप्ति के आधार पर कार्य करने के कारण, यदि भविष्य में कोई भर्ती की जाती है, तो बोर्ड किसी भी पद पर चयन के लिए कोई वरीयता नहीं देगा।

8. संबंधित व्यक्ति ने बोर्ड में चाहे जितनी भी अवधि तक सेवा की हो, उसकी गणना किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी।

9. नियमित नियुक्ति के लिए अपने द्वारा की गई सेवाओं का दावा करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कहीं भी, अर्थात उच्च प्राधिकारी/विधिक प्राधिकारी के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है।

10. नियमित कर्मचारी को मिलने वाले लाभ सह-समाप्ति के आधार पर नियोजित व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। नियमित कर्मचारियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और नियम सह-समाप्ति आधारित नियोजन के मामले में नहीं अपनाए जाएंगे।

11. मानवीय आधार पर वे आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकेंगे, जैसा कि बोर्ड उचित समझे।

12. यदि अध्यक्ष द्वारा दौरे पर जाने की अनुमति दी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति मानवीय आधार पर यात्रा भत्ते का दावा कर सकता है क्योंकि दौरे पर जाने के लिए उन्हें व्यय करना पड़ता है। सेवाएँ केवल अध्यक्ष के कार्यालय तक ही सीमित होंगी न कि बोर्ड के लिए।

13. संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष के कार्यालय में अपने द्वारा निष्पादित शासकीय कर्तव्य के संबंध में अतिरिक्त समय भत्ते का दावा कर सकता है।

14. संबंधित व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र एवं पूर्ववृत्त (चरित्र सत्यापन) प्रस्तुत करने से छूट दी गई है, क्योंकि यह भर्ती नियमों/भर्ती समिति के अनुसार बोर्ड द्वारा चयनित कोई नियमित/अस्थायी/तदर्थ नियुक्ति नहीं है।

15. उनकी सेवा के कार्यकाल के दौरान, यदि वे किसी दुराचार के दोषी पाए जाते हैं या किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, तो बिना किसी सूचना के उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जाएँगी।

16. उपरोक्त सुविधाओं, यात्रा भत्ते और अतिरिक्त समय भत्ते को छोड़कर, संबंधित व्यक्ति पर कोई अन्य सेवा नियम और शर्तें लागू नहीं होंगी।

यदि अभ्यर्थी सह-समाप्ति नियोजन के लिए उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है, तो उसे निर्देश दिया जाता है कि वह इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अपने व्यक्तिगत विवरण/अन्य प्रमाणपत्रों के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कर्तव्य (ड्यूटी) पर उपस्थित होने की सूचना दे।

.....″

8. बोर्ड ने, ऊपर बताए गए अनुसार सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित पांच व्यक्तियों को 22.01.2004 को आवश्यक नियुक्ति आदेश जारी किए, जिसमें

उन्हें 22.07.2002 से कार्योत्तर प्रभाव से निजी कर्मचारी के रूप में नियोजित किया गया, हालांकि उसमें एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ये नियुक्तियां सह-समाप्ति के आधार पर थी। इस स्थिति के बावजूद, तत्कालीन अध्यक्ष ने एक संकल्प पेश किया और इसे 31.08.2005 को बोर्ड में पारित करवा लिया, ताकि रिक्त पदों के बदले पांच निजी कर्मचारियों के आमेलन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जा सके। हालांकि, सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसलिए, अध्यक्ष ने 17.02.2006 को पांच व्यक्तियों के आमेलन के लिए बोर्ड में एक और संकल्प पारित करवाया। इसके पश्चात उक्त अध्यक्ष ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल को 8 कंडिकाओं वाला एक नोट भेजा। इस नोट की कंडिका 5 से 8 इस प्रकार हैं:-

"5. तदनुसार, उपरोक्त पांच निजी कर्मचारियों की 3.5 वर्ष की निरंतर सेवा और संबंधित पदों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके आमेलन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। जबकि सरकार द्वारा इस आधार पर प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है कि उपरोक्त नियुक्तियां अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ सह-समाप्ति के आधार पर की गई थी।

6. पुनः उपरोक्त विषय पर 17.02.2006 को आयोजित 50वीं बोर्ड बैठक में चर्चा की गई, जहाँ निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया है:

"बोर्ड को सूचित किया गया कि अध्यक्ष के निजी कर्मचारियों के आमेलन के लिए पहले भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। हालांकि, अध्यक्ष ने मौजूदा मानदंडों में ढील देते हुए, एक विशेष मामले के रूप में स्वीकृति के लिए आवश्यक औचित्य के साथ सरकार को एक अलग नोट भेजने की इच्छा व्यक्त की है। बोर्ड ने इसका समर्थन किया है।"

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले पदों का कोई अतिरिक्त सृजन शामिल नहीं है, जहाँ भी आवश्यक महसूस हो

भर्ती नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की बोर्ड की शक्ति, उपरोक्त निजी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि और बोर्ड के विचार-विमर्श के आलोक में, सरकार से अनुरोध है कि वह मौजूदा मानदंडों में ढील देते हुए, एक विशेष मामले के रूप में अध्यक्ष के 5 निजी कर्मचारियों के आमेलन के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे।

8. निजी कर्मचारियों का बायो-डेटा कृपापूर्ण अवलोकन हेतु फाइल में रखा गया है।"

उपरोक्त नोट की कंडिका 7 को तत्कालीन उपराज्यपाल, पुडुचेरी द्वारा 26.02.2006 को इस तथ्य के बावजूद मंजूरी दे दी गई थी कि इस बार नोट संबंधित प्रशासनिक सचिवालय, अर्थात औद्योगिक विकास विभाग (उद्योग एवं वाणिज्य), और पुडुचेरी सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से नहीं भेजा गया था।

9. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि इससे पहले विधानसभा विभाग, पुडुचेरी के कुछ अन्य समान रूप से स्थित अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था और उन्हें समाप्त कर दिया गया था। अपनी सेवा समाप्ति पर उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया था, और उनके मूल आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। उन आदेशों की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा और इस न्यायालय द्वारा 'इलांगो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' के मामले में वर्ष 2005 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 7859-7877 में अपने आदेश दिनांक 06.03.2006 द्वारा की गई थी। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि इसी बोर्ड द्वारा नियोजित अन्य सह-समाप्ति कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं के नियमितीकरण के इसी तरह के प्रस्ताव को बाद में 17.06.2008 को उपराज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया गया था।

10. इन पांच व्यक्तियों के आमेलन के उपरोक्त प्रस्ताव को मार्च 2006 में पुडुचेरी राज्य विधानसभा के चुनावों की घोषणा के कारण स्थगित रखा गया था। तत्कालीन अध्यक्ष पी. अंगालन ने 16.04.2006 को अपना कार्यकाल समाप्त होने पर अपने अध्यक्ष पद से

इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद, उनके साथ सभी चार उत्तरदाताओं और ऊपर संदर्भित टी. कुमार को उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया।

11. उत्तरदाताओं ने लगभग दो साल बाद एक विनिर्दिष्ट आदेश संख्या 3181/2008 दायर किया, जिसमें दिनांक 17.02.2006 के संकल्प और दिनांक 26.02.2006 की स्वीकृति को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अपने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका की कंडिका 3 में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें सह-समाप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था। उसकी कंडिका 6 में, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2006 में अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद उन्हें उनकी सेवाओं से पहले ही मुक्त कर दिया गया था। याचिका में इन कथनों के बावजूद, मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य का अवलंबन लिया कि उनके आमेलन को स्वीकृति दी गई थी, और यह मुद्दा केवल वर्ष 2006 के चुनाव समाप्त होने तक स्थगित रखा गया था, और उसके बाद दो साल बीत चुके थे। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 26.02.2008 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि यहाँ प्रस्तुत याचिकाकर्ता (जो उस याचिका में उत्तरदाता था) यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः स्वीकृति के नोट के अनुसार आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर कार्रवाई करेगा। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि याचिका को प्रवेश चरण में ही निपटा दिया गया था, और वर्तमान याचिकाकर्ता के पास भर्ती नियमों और उत्तरदाताओं के नियोजन की प्रकृति जैसे आवश्यक तथ्यों को अभिलेख पर रखने के लिए जवाब दाखिल करने का कोई अवसर नहीं था।

12. इस आदेश के पारित होने को देखते हुए अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1131/2011 दायर की और आवश्यक सामग्री अभिलेख पर रखी। फिर भी, खंडपीठ ने इस तथ्य को महत्व दिया कि बोर्ड ने पांडिचेरी के उपराज्यपाल से स्वीकृति मांगी थी जो प्रदान कर दी गई थी। इसलिए, खंडपीठ के अनुसार, एकल न्यायाधीश के उस आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी जिसमें यहाँ

प्रस्तुत उत्तरदाताओं के आमेलन के लिए बोर्ड के निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई।

13. इसी बीच, उत्तरदाताओं ने एक अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 13428/ 2010 दायर की क्योंकि विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/2008 में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बावजूद बोर्ड द्वारा उनके आमेलन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा था। इस दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.01.2011 को आदेश पारित कर उत्तरदाताओं के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए, उत्तरदाताओं ने दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में संशोधन किया और इस दिनांक 10.01.2011 के आदेश को चुनौती दी। यह दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका यहाँ प्रस्तुत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील संख्या 1131/2011 के खारिज होने के बाद सुनवाई के लिए आई। ऐसा होने पर, जिस विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 13428/2010 की सुनवाई की, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ प्रस्तुत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश अपील के खारिज होने का संदर्भ देते हुए दिनांक 10.01.2011 के आदेश को अभिखंडित कर दिया। उस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में दिए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने दूसरी विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 4688/2012 दायर की है, जिसकी सुनवाई विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 4669/2012 के साथ की गई है, जो विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1131/2011 में खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। इन दोनों विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न होने वाली इन दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई है और इनका निपटारा एक साथ किया जा रहा है।

प्रतिद्वंदी पक्षों के तर्कों पर विचार:-

14. अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि जैसा कि तथ्यों के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, उत्तरदाताओं का नियोजन स्पष्ट रूप से सह-समाप्ति के आधार पर था। उन्हें ऐसा

कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे सेवा में बने रहेंगे। बोर्ड के अंतर्गत कर्मचारियों को नियोजित करने के लिए भर्ती नियम और एक प्रक्रिया मौजूद है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इससे किसी भी प्रकार के विचलन का अर्थ सरकारी प्रतिष्ठान / अर्ध-सरकारी नियोजन में विधि-विरुद्ध नियुक्ति की अनुमति देना होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अपीलकर्ता के इस तर्क के विपरीत, उत्तरदाताओं द्वारा यह रेखांकित किया गया कि उनके मामले में पहले बोर्ड द्वारा और फिर उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ऐसा होने पर, हमारे समक्ष मौजूद दोनों मामलों में क्रियान्वयन का निर्देश देने वाले खंडपीठ के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

15. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यान दिया है। उपरोक्त तथ्यों के विवरण से यह बहुत स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को केवल इसलिए नियोजित किया गया था क्योंकि उनके नामों की सिफारिश बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा की गई थी। वे न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से सेवा में आए हैं और न ही किसी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें उन्हें अन्य पात्र उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। यह भी देखा गया है कि राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, वह संबंधित प्रशासनिक तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली और पुडुचेरी के मुख्य सचिव के माध्यम से नहीं भेजा गया था। चूंकि प्रस्ताव प्रशासन के सामान्य माध्यम से नहीं भेजा गया था, इसलिए उत्तरदाताओं के अनियमित नियोजन के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति राज्यपाल के समक्ष नहीं रखी जा सकी। उनके प्रारंभिक नियोजन, बोर्ड में उसी श्रेणी में स्वीकृत पदों की उपलब्धता, कर्मचारियों के नियोजन के लिए प्रासंगिक नियम आदि जैसे प्रासंगिक तथ्य भी राज्यपाल के समक्ष नहीं रखे जा सके। इसके बावजूद, प्रस्ताव में स्वयं यह दर्ज था कि उत्तरदाताओं ने केवल 3.5 वर्षों की सेवा की थी, और उन्हें नियमित करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा एक बार खारिज कर दिया गया था। बोर्ड अधिनियम की धारा 15 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित

करती है कि बोर्ड अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों से बाध्य था। राज्यपाल से स्वयं कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी, बल्कि उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना था। यह प्रश्न कि क्या इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन और अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न होगा, सरकार को संदर्भित किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, संकल्प में केवल इस संबंध में अध्यक्ष के अनुरोध को दर्ज किया गया था। यह एक विशेष मामले के रूप में नियमितीकरण को मंजूरी देने या मौजूदा मानदंडों में ढील देने वाला बोर्ड का संकल्प नहीं था।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रवेश चरण में ही अपीलकर्ताओं को इन प्रासंगिक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर दिए बिना विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/2008 को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण एक त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ। यदि याचिका को स्वीकार किया जाना था, तो न्यूनतम अपेक्षा यह थी कि याचिका के उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जाती और फिर इस या उस तरह से निर्णय लिया जाता। पुनः, खंडपीठ ने भी अपने समक्ष मौजूद मूल मुद्दे को नहीं देखा, हालांकि विनिर्दिष्ट आदेश अपील में खंडपीठ के समक्ष प्रासंगिक सामग्री रखी गई थी। जिस विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका की सुनवाई की, उन्होंने केवल विनिर्दिष्ट आदेश अपील में खंडपीठ के निर्णय का अनुसरण किया।

17. विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/2008 की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश और विनिर्दिष्ट आदेश अपील की सुनवाई करने वाली खंडपीठ इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते थे कि उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उनकी सेवाएँ सह-समाप्त थी, और उन्हें इसके बाद नियोजित होने का कोई अधिकार नहीं होगा। पूर्व में संदर्भित नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 4 और 6 इस संबंध में बहुत स्पष्ट हैं। उत्तरदाताओं ने पूर्ण समझ के साथ सह-समाप्ति नियुक्ति स्वीकार की थी। जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उनके लिए अपनी सेवा-मुक्ति को चुनौती देना अनुमेय नहीं था।

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 2006 (4) एससीसी 1 में प्रतिवेदित सचिव, *कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य* वाद की कंडिका 45 में जो अवलोकन किया है, वह काफी उपयुक्त है। उक्त कंडिका इस प्रकार है:-

> *"45. नियुक्तियों, चाहे वे अस्थायी हों या आकस्मिक, को नियमित करने या स्थायी बनाने का निर्देश देते समय न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित होते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ समय तक और कुछ मामलों में काफी लंबी अवधि तक कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति का नियोजन स्वीकार करता है, वह अपने नियोजन की प्रकृति से अवगत नहीं होता है। वह खुली आँखों से नियोजन स्वीकार करता है। यह सत्य हो सकता है कि वह सौदेबाजी करने की स्थिति में न हो—समान स्तर पर न हो—क्योंकि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी नियोजन की तलाश में रहा होगा और उसे जो कुछ भी मिलता है, वह उसे स्वीकार कर लेता है। परंतु केवल उस आधार पर, नियुक्ति की संवैधानिक योजना को खारिज करना और यह दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा कि जो व्यक्ति अस्थायी या आकस्मिक रूप से नियोजित हुआ है, उसे स्थायी रूप से बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से, यह सार्वजनिक नियुक्ति का एक अन्य माध्यम सृजित करना होगा जो अनुमेय नहीं है... ... ..."*

18. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *उमादेवी* (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है, सार्वजनिक नियोजन की संवैधानिक योजना के इतर सार्वजनिक नियोजन में नियुक्त/भर्ती किए गए और लंबे समय तक सेवा में बने रहने वाले अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगी या तदर्थ कर्मचारियों का आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी रूप से बने रहना अनुमेय नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। एससीसी में प्रतिवेदित निर्णय की कंडिका 53 में दर्ज विवरण के अनुसार, इस न्यायालय ने एक बार के उपाय के रूप में, अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं के

नियमितीकरण की अनुमति दी है, बशर्ते उन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य किया हो। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति भी नहीं है।

19. इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय 1992 (3) एससीसी 226 में प्रतिवेदित *गुजरात राज्य एवं अन्य बनाम पी.जे. कम्पवात एवं अन्य* में, इस न्यायालय को इसी तरह की स्थिति को देखने का अवसर मिला था। वह एक ऐसा मामला था जहाँ संबंधित व्यक्तियों को सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक की सीमित अवधि के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ऐसी नियुक्ति विशुद्ध रूप से एक संविदात्मक नियुक्ति थी, और यह मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ सह-समाप्ति पर आधारित थी, तथा ऐसी सेवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई थी। ऐसी सेवा को समाप्त करने के लिए किसी अलग से सेवा-समाप्ति आदेश या यहाँ तक कि किसी नोटिस की भी आवश्यकता नहीं थी।

20. हमें यह ध्यान देना होगा कि वर्तमान मामले में संबंधित विधायक (एम.एल.ए.) को एक विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था, और उन्होंने राज्य विधानसभा के चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्तीफा दे दिया था। उनके द्वारा नियुक्त सह-समाप्ति कर्मचारियों के नियमितीकरण का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे बिना सीधे राज्यपाल को भेज दिया गया था। इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों को खारिज किया जा चुका है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 2009 (4) एससीसी 170 में प्रतिवेदित *भारत संघ बनाम धरम पाल* में अवलोकन किया गया है, उचित माध्यम से नियोजित होने की आवश्यकता को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए मनमाने और लापरवाह तरीके से शिथिल नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

21. यह परिदृश्य होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंडपीठ, और बाद के विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो आदेश पारित किए हैं, उन्हें पारित करने में त्रुटि की

है। उच्च न्यायालय ने बोर्ड को अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए संकल्प/नोट और राज्यपाल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश देकर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/ 2008 का निर्णय करने में त्रुटि की है। खंडपीठ ने भी उस याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपरिवर्तित छोड़कर त्रुटि की है। इसी तरह उस विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी त्रुटि की है जिसने दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका की सुनवाई की थी।

22. ऊपर बताए गए कारणों से ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं, और विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1131/2011 के साथ-साथ विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/ 2008 और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 13428/2010 में दिए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को अपास्त किया जाता है। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 3181/2008 और संख्या 13428/2010 खारिज रहेंगी। परिणामस्वरूप, इन दोनों अपीलों में अंतरिम आवेदन, और मद्रास उच्च न्यायालय में उत्तरदाता द्वारा दायर अवमानना याचिका संख्या 1841/2011 भी निस्तारित मानी जाएगी। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए हम लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

बी.बी.बी. अपीलें स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।